न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1844–एक / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–08–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–204 / अपील / 96–97

.....

हरिहरराम तनय श्री जगतराम

निवासी–मिसिरगवा, तहसील गोपदनबनास

जिला–सीधी(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

1– देवराजाराम

2– रामसुमेरराम, पुत्रगण रामहित्तराम

3– रामकली तिवारी पत्नी छविराज तिवारी

4– रामकरण तिवारी

5– बालमीक प्रसाद

6– मुनिमहेश, पुत्रगण छविराम सा0 गाड़ा तहसील गोपदबनास
जिला– सीधी(म0प्र0)

7– दशोहरी

8– मंगलावती

9– गीतादेवी

10– अरूणा देवी, पुत्रीगण छविराज राम तिवारी
जरिये बली मां रामकली तिवारी
निवासी– गाड़ा तहसील गोपदबनास
जिला– सीधी(म0प्र0)

11– सुजकिली तिवारी पत्नी गंगाराम तिवारी

12– मुंशी प्रसाद

13– विमला प्रसाद, पुत्रगण गंगाराम तिवारी
निवासी– गाड़ा तहसील गोपदबनास
जिला– सीधी(म0प्र0)

14– संतमुनि

15– कीश देवी

16– कलावती

17– सुनीता, पुत्रीगण गंगाराम तिवारी बली मां सुलकिली तिवारी
निवासी– गाड़ा तहसील गोपदबनास
जिला– सीधी(म0प्र0)

––––––अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15-11-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने ग्राम गाड़ा लोलर सिंह स्थित आराजी खसरा नम्बर 855 के रकबा 0.405 आरे के त्रुटि सुधार हेतु संहिता धारा 116 के तहत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 28.04.1990 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 152/अपील/89–90 में पारित आदेश दिनांक 24.09.92 से अपील स्वीकार की तथा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील

प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 204/अपील/96–97 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 23.08.2007 से अपील सारहीन मानकर निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या राजस्व निरीक्षक को कब्जा अंकित करने के अधिकार प्राप्त है? अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक गोपदबनास ने प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा अंकित कर दिया। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार राजस्व निरीक्षक को कब्जा अंकित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.92 से नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.04.1990 को निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2007 से की है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,